



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-17102023-249509
CG-UP-E-17102023-249509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4389]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945

No. 4389]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 12 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4563(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघराज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	मथुरा जं - अलवर - खंड का उन्नयन	उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान

[ई.फा.सं. एन.सी.आर.-ए.जी.सी.शून्य.ई.एन.जी.जी.(एल.ए)/4/2023-ओ./ओ डिप्टी.सी.ई./सी./ ए.जी.सी./एन.सी.आर.
(कम्प्यूटर सं. 99619)]

मंजुल माथुर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 12th October, 2023

S.O. 4563(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

S. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Mathura Jn. – Alwar - Upgradation of section	Uttar Pradesh & Rajasthan

[F. No. NCR-AGC0ENGG(LA)/4/2023-O/o DY.CE/C/AGC/NCR (Computer No. 99619)

MANJUL MATHUR, Chief Administrative Officer (Construction)